भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1885**

**दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत**

**सोनीपत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**

1885. **श्री सतपाल ब्रह्मचारीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटिंग से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार तक पहुंच प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा एमएसएमई के बीच डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग और प्रौद्योगिकी प्रयोग को सुगम बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनसे सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लाभान्वित उद्यमों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार महिला और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ाव प्रदान करने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या और आवंटित सहायता कितनी है तथा भावी कार्य योजना क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) से (घ): सरकार सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के डिजिटलीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसएमई में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग और ऑनलाइन विपणन को अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहलें शुरु की गई हैं। सरकार एमएसएमई में डिजिटल विपणन, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग और प्रौद्योगिकी अंगीकरण की सुविधा के लिए विभिन्न स्कीमों और पहलों का कार्यान्वयन कर रही है, जिनमें एमएसएमई को डिजिटल वाणिज्य प्लेटफार्म से जोड़ने की सुविधा प्रदान करने, डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करने और बाजार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ साझेदारी में कार्यान्वित व्यापार सक्षमता और विपणन (टीएम) पहल शामिल है। दिनांक 30.06.2026 तक, एमएसएमई द्वारा ओएनडीसी नेटवर्क पर लगभग 2,41,000 लेन-देन किए गए हैं; एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) कार्यक्रम (जिसके अंतर्गत राज्य प्रतिस्पर्धात्मकता, डिजिटल अंगीकरण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और एमएसएमई की बाजार उपलब्धता में सुधार के लिए अंत:क्षेप करते हैं); खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम (जो घरेलू व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी और आधुनिक विपणन पद्धतियों और बार कोड सहायता को अपनाने के लिए सहायता प्रदान करती है); सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक प्रापण नीति आदेश, 2012 (जो सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेएम) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में एमएसई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है); एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम (जो लीन विनिर्माण पद्धतियों, गुणवत्ता मानकों, उत्पादकता वृद्धि, सततता और उन्नत विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने में सहायता देती है, जिससे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है); रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत गिफ्ट (परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्त पोषण) स्कीम और स्पाइस (नवाचार, सहयोग और उद्यमिता के लिए मजबूत भागीदारी) स्कीम, जो हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, नवाचार, पारितंत्र विकास और उद्यम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में उन पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है, जो संबंधित स्कीमों के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

****